राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।

प्रशिक्षण कार्यक्रम रिपोर्ट "रिफ्रेशर कोर्स फॉर पुलिस इन्सपेक्टर्स"

दिनांक 09.10.2017 से 13.10.2017

राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 09.10.2017 से 13.10.2017 तक पांच दिवसीय **"रिफ्रेशर कोर्स फॉर पुलिस इन्सपेक्टर्स"** आयोजित किया गया। अकादमी के निदेशक अति0 महानिदेशक पुलिस श्री राजीव दासोत, आई॰पी॰एस॰ के निर्देशन व मार्गदर्शन में प्रबुद्ध वक्ताओं को व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किया गया। इस कोर्स में राजस्थान के विभिन्न जिलों से उपस्थित आये कुल 21 पुलिस निरीक्षक स्तर के अधिकारियों ने भाग लिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम एवं व द्वितीय सत्र में श्री आर.एस. बत्रा, आर.ए.एस.(सेवानिवृत्त) द्वारा **जमीन संबंधी विवादों** के संबंध में व्याख्यान दिया गया। उन्होंने जमीन संबंधी विवादों के अनुसंधान में ध्यान रखने योग्य दीवानी विधि के महत्वपूर्ण पहलुओं यथा, स्वामित्व भू हस्तान्तरण, कब्जा, आदि के संबंध में विस्तार से बताया। द्वितीय सत्र में श्री निशीथ दीक्षित, एडवोकेट एवं साईबर एक्सपर्ट द्वारा **आई.टी. एक्ट एण्ड एडमिसीबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोनिक एविडेन्स** पर गहनता से विवेचना की गई। तृतीय एवं अंतिम सत्र में श्री जी. एल. शर्मा महानिरीक्षक पुलिस (सेवानिवृत) ने **अनुसंधानों का पर्यवेक्षण एवं पुलिस के सामाजिक दायित्व** विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत किया।

द्वितीय दिवस के प्रथम एवं द्वितीय सत्र में श्री मिलिन्द अग्रवाल, साइबर क्राईम एक्सपर्ट ने **इन्टरनेट-धोखाधड़ी**, **साइबर अपराध**, **साइबर अपराधों का अनुसंधान** एवं **साइबर फोरेंसिक्स** का परिचय देते हुए इनके कारण, कार्यप्रणाली और समाधान पर व्याख्यान दिया। उन्होंने आई.टी. एक्ट के महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में भी बताया । तृतीय एवं चतुर्थ सत्र में श्री शेखर सिंह,

साईबर क्राईम एक्सपर्ट द्वारा **बैंकिंग फ्रॉड्स** के संबंध में कलेक्शन ऑफ डिजिटल एवीडेन्स विषय पर विस्तार से बताया गया।

तृतीय दिवस के प्रथम सत्र में श्री रमेश अरोड़ा ने **"द गुड पुलिस मैन"** विषय पर अपना व्याख्यान दिया और सभी अधिकारियों से अच्छाई करने और बेहतर बनने की अपील की। अंतिम सत्र में डॉ. सुमन राव, एपीपी आरपीए ने महिलाओं को **घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 एवं कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम 2012** के प्रावधानों एवं **बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम** पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के चतुर्थ दिवस के प्रथम सत्र में श्री रमेश गांधी द्वारा **तम्बाकू निषेध** पर अपने विचार व्यक्त किये एवं सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद एक्ट में पुलिस की भूमिका एवं प्रावधानों पर चर्चा की। द्वितीय सत्र में डॉ. गोपेश दीक्षित, आर.एच.जे.एस. (सेवानिवृत) द्वारा **"रीजन्स ऑफ एक्विटल एण्ड सजेशन्स फॉर अवोयडिंग कॉमन मिस्टेक्स"** विषय पर बात करते हुए अनुसंधान अधिकारियों द्वारा अमूमन अनुसंधान में छोडी गई कमियों/गलतियों पर प्रकाश डाला और उनके निराकरण हेतु आग्रह किया। तृतीय सत्र में श्री राजेन्द्र सिंह, पुलिस निरीक्षक ने **"अपराधों की रोकथाम एवं प्रभावी कार्यवाही के कानूनी प्रावधान एवं निरोधात्मक कार्यवाहियां"** विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। चतुर्थ सत्र में श्री आवेश सिंह, ए.डी.पी. द्वारा **"आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013"** विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के पंचम दिवस के प्रथम एवं द्वितीय सत्र में श्री आर.एस. शर्मा, अतिरिक्त निदेशक (सेवानिवृत्त), राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर ने अनुसंधान में **विधि विज्ञान प्रयोगशाला** की सहायता लेने और विशेषज्ञ राय प्राप्त करने के बारे में जानकारी प्रदान की। उन्होंने **डिजिटल साक्ष्य** एवं **दस्तावेजी साक्ष्यों** के महत्व को समझाते हुए इन्हें प्राप्त करने की प्रकिया की विस्तृत व्याख्या की।

प्रशिक्षण के समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, (राज्य मानवाधिकार आयोग), राज, जयपुर श्रीमान **रवि कुमार मेहरडा** द्वारा अपने उद्बोधन में प्रतिभागियों को उनके ज्ञान एवं कौशल में सतत वृद्धि कर सकारात्मक मनोवृत्ति से कार्य करने की प्रेरणा दी। उन्होंने मानवीय इन्टेलीजेन्स को महत्व देने, लगातार पढकर अद्यतन रहने, उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णयों और अनुसंधान अधिकारियों से अपेक्षाओं पर विस्तार से चर्चा की। श्रीमान द्वारा सभी प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया गया। तत्पश्चात् प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र व ग्रुप फोटोग्राफ वितरित किये गये।